संख्या 939 / II–2007–03(03) / 06

प्रेषक,

टीकम सिंह पंवार
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

सिंचाई विभाग देहरादून : दिनांक 23, मार्च, 2007

विषय : वित्तीय वर्ष 2006–07 में आयोजनागत मद में धनावंटन ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 8284 / मु.अ.वि. / बजट / बी–1 सामान्य दि0 25.10.06 एवं पत्र संख्या 394 / मु0अ0वि0 / बजट / बी–1 सामान्य दि0 6.2.07 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2006–07 में प्राविधानित बजट के संगत मद से संलग्नक–1 में अंकित विवरणानुसार रू0 334.40 लाख एवं संलग्न–2 पर प्रस्तुत बी0एम0–15 के विवरणानुसार अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से रू0 915.60 लाख कुल रू0 1250.00 (रू0 बारह करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1– सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यों के बिरूद्ध ही किया जाय, व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है। तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

2– धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृत एवं कार्यो के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।

3– उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, टैण्डर, कुटेशन विषयक नियम तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

4– जहॉ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।

5– मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तराखण्ड राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

6– कार्य की समय बद्धता एवं गुणवता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

7– विभागीय कार्य करने से पूर्व सिंचाई विभाग / लोक निर्माण विभाग की दरों पर आगणन गठित कर एवं तकनीकी अधिकारियों की संस्तुति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

क्रमशः.....2

8— त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का उक्त त्रैमास में पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

9— धनराशि का आहरण सी0सी0एल0 हेतु निर्धारित नियमान्तर्गत ही किया जायेगा।

10— स्वीकृत धनराशि का व्यय दिनांक 31.3.07 तक करना सुनिश्चित किया जाय।

11— बाढ़ सुरक्षा कार्यों हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही योजनाओं को पूर्ण करने हेतु किया जाय जिनका 75 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण हो गया हो ।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006—07 के आय—व्ययक की अनुदान सं0—20 के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित उपलेखाशीर्षकों के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 2214/XXVII (2) /2007 दिनांक 22.3.07 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोक्त।

भवदीय,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव

संख्या 939, / II—2007—03(03)/06,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, सिंचाई।
2— महालेखकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
3— वित्त अनुभाग—2।
4— मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
5— श्री एम0एल0 पन्त, अपर सचिव, वित्त, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6— नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7— अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8— समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
9— निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10— गार्ड फाईल।

संलग्न : यथोक्त।

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव

शासनादेश संख्या 939/ II–2007–03(03)/06 दिनांक 23-03-2007 का संलग्नक–1

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र. स.	लेखाशीर्षक	आंवटित धनराशि
1	4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 16–हरिद्वार में कांवड़ यात्रियों का वैकल्पिक मार्ग, 800–अन्य व्यय, 02–अन्य रखरखाव व्यय, 01–गंगानहर सेवा मार्ग, 24–वृहद् निर्माण कार्य	323.40
2	4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 052–मशीनरी तथा उपस्कर, 03–नवीन सम्पूर्ति, 12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण, 26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	11.00
	योग	**334.40**

(रू0 तीन करोड़ चौतीस लाख चालीस हजार मात्र)

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव

प्रपत्र–बी0एम–15 संलग्नक–2

नियन्त्रण अधिकारी मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
प्रशासनिक विभागः सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड शासन।
वित्तीय वर्ष 2006–07 अनुदान संख्या–20

(धनराशि हजार रूपये में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष सरप्लस धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है।	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद अवशेष धनराशि (स्तम्भ–1 में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 16–हरिद्वार में कांवड़ यात्रियों का वैकल्पिक मार्ग (आयोजनागत) 800–अन्य व्यय 02–अन्य रखरखाव व्यय 01–गंगानहर सेवा मार्ग 24–वृहत निर्माण कार्य 183900	59686	32654	91560 (क)	4711–बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 01–बाढ़ नियंत्रण, 103–सिविल निर्माण कार्य, 03–अनापेक्षित आपातकालीन कार्य नदी में सुधार 24–वृहद् निर्माण कार्य 91560 (ख)	191560	92340	(क) भारत निर्माण कार्यक्रम का Perspective Plan तैयार करते समय कोई गाईड लाईन उपलब्ध नहीं थी तथा सभी सिंचाई संसाधनों के निर्माण/पुनरोद्धार हेतु Perspective Plan तैयार करते हुए तदनुसार बजट व्यवस्था की गयी थी किन्तु बाद में भारत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि भारत निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाओं का वित्त पोषित ए0आई0बी0पी0 के मानकों के अनुसार किया जायेगा। ए0आई0बी0पी0 के मानकों के अनुसार केवल सतही जल पर आधारित सिंचाई योजनाओं का निर्माण ही अनुमन्य है । अतः भूजल पर आधारित नलकूप निर्माण के कार्यों के लिये की गयी बजट व्यवस्था बचत है । कांवड मार्ग में भी रू0 915.60 लाख की बचतें उपलब्ध हैं । (ख) बजट व्यवस्था/प्लान परिव्यय आवश्यकता से कम होने के कारण ।
योग 183900	59686	32654	91560	91560	191560	92340	

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर 150–156 में उल्लिखित प्राविधानों एवं योजनाओं का उल्लंघन नही होता है।

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–2
सं0– 2216/(क)/XXVII(2)/2007
देहरादूनः दिनांक 22 मार्च 2007

पुनर्विनियोग स्वीकृत।

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव

महालेखाकार उत्तराखण्ड
देहरादून।
सं0 939/II–2007–04(28)/2007 दिनांक 23.3.07

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित है :–

1. वित्त अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
2. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
3. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव।